नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 237.— केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग, समूह 'ख' पद निजी सहायक भर्ती नियम, 2004 और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग समूह 'ख' पद निजी सचिव भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-I, निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के पदों पर भर्ती की रीति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आशुलिपिक ग्रेड-I, निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-**ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (6) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हरताएं.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 आशुलिपिक ग्रेड-I	16* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(i) वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए और 4200/-रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और	लागू नहीं होता	दो वर्ष

आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को निर्णायक तारीख माना जाएगा न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला और चम्बा जिले का पांगी प्रभाग एवं अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(ii) आशुलिपि कौशल परीक्षा मानक: समय 10 मिनट 100 शब्द प्रति मिनट की गति से **प्रतिलेखन:** अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 55 शब्द प्रति मिनट कम्पयूटर पर।		

भर्ती की पद्धति क्या हैं, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
12	13
समूह 'ख' विभागीय सेवा पुष्टि समिति (सेवा पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे – (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव	09* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए+ 4600/-रूपए ग्रेड वेतन	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
88.89% प्रोन्नति द्वारा और प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, 11.11% अल्पकालिक संविदा	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए और ग्रेड वेतन 4200/-रुपए में विभागीय प्रोन्नति आशुलिपिक ग्रेड-1 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

सहित प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पण: 88.89% (आठ पद) प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, और 11.11% (एक पद) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आशुलिपिक: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए+ग्रेड वेतन 4200/-रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे – (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य

(3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. प्रधान निजी सचिव	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	(i) वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रुपए और 6600/- रुपए ग्रेड वेतन	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रुपए +ग्रेड वेतन 4600/- रुपए में सात वर्ष की नियमित सेवा वाला विभागीय निजी सचिव हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आशुलिपिक: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रुपए +ग्रेड वेतन 5400/- रुपए या समतुल्य में आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है। (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रुपए +ग्रेड वेतन 4800/- रुपए या समतुल्य में आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के वह विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों, पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य 2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-35011/28/2009-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group 'B' Post Personal Assistant Recruitment Rules, 2004 and the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group 'B' Post Private Secretary Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rule may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Stenographer Grade-I	16 * (2015) * Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group-'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/-	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(I) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University; and (II) Stenography skill test norms: Dictation for 10 minutes @ 100 words per minute. Transcription; 40 minutes in English, 55 minutes in Hindi on computers.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary	09* (2015) *Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs.4600/-	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
88.89% by promotion failing which by deputation including short-term contract, 11.11% by promotion/deputation including short-term contract. Note: 88.89% (Eight posts) by Promotion failing which by deputation (including short-term contract), and 11.11% (One Post) by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** The Departmental Stenographer Grade-I in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/- with five years of regular service rendered in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (Including Short-term Contract): Stenographers from the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or autonomous or Statutory organisations or recognised research institutions or universities: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/- or equivalent in the parent Cadre or Department; **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be for a period of three years.

	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Principal Private Secretary	01 * (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Ministerial	Pay band-3, Rs.15600-39100 /- plus grade pay Rs.6600/-	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short-term contract	**Promotion:** The Departmental Private Secretary in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4600 with seven years of regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

	Deputation (Including Short-term Contract) : Stenographers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or Statutory or autonomous organisations or recognised Institutions or Universities: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Chairman or Member, UPSC –Chairman; (2) Director, Serious Fraud Investigation Office –Member; (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member. **2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A-35011/28/2009-Adm.III]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.